विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 155 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर

2. **कलेक्टर**
   जिला – बीजापुर एवं दंतेवाड़ा,
   छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1474 अतारांकित द्वारा श्री विक्रम मंडावी, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

–000–

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1474 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 19.02.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 156 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी, जिला–बीजापुर एवं दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **27/02/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **09/03/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के धान संग्रहण केन्द्रों में धान की कमी**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1474**) **श्रीविक्रम मंडावी**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के धान संग्रहण केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में भंडारण किया गया था तथा उसमें से मिलर्स को तथा क्रेताओं को कितना-कितना धान दिया गया? शेष मात्रा कितनी-कितनी रही तथा उसकी गुणवत्ता की स्थिति क्या है, जानकारी संग्रहण केन्द्रवार बताएं? (ख) संग्रहण केन्द्रों में यदि धान की कमी हुई है या गुणवत्ता खराब हुई है तो उसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है, क्षति की राशि कितनी-कितनी है? क्षति की पूर्ति किस प्रकार से होगी, केन्द्रवार बताएं? (ग) क्या शेष धान के गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया है? यदि हां तो परिणाम क्या रहा, यदि नहीं तो क्यों नहीं कराया गया? क्या अब कराया जाएगा? (घ) शेष धान का निराकरण किस प्रकार किया जाएगा?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 17/02/2026 02:08:51 |

Remark :

मार्कफेड

कृते